

भारत के राजपत्र के असाधारण संस्करण के भाग 11 छंड 3 उपखंडमें प्रकाशनार्थी।

भारत सरकार

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय  
पत्तन पक्ष

नई दिल्ली, दिनांक 17-11-2000.

### अधिसूचना

सा.फा.नि. केन्द्र सरकार, महापत्तन न्याय अधिनियम, 1963  
1963 का 38 की धारा 132 की उपधारा 11 के साथ पठित धारा 124 की उपधारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,  
पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना द्वारा संलग्न  
अनुसूची में उत्तरानेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (द्वारा) संचालन  
विनियम 1998 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की  
तारीख को प्रवृत्त होंगे।

क.वी.2.6

के. वी. राव

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

फां सं. पी. आर-12016 / 19 / 2000 पी.ई-।

सेवा में,

प्रबंधक,  
भारत सरकार मुद्रणालय,  
मायापुरी, रिंग रोड,  
नई दिल्ली।

अनुरूप  
वि.

### आधिसूचना

मुख्य पत्तन न्यासा अधिनियम (१२३ का ३८) की धारा ४६ के साथ प्रठित धारा - १२४ द्वारा प्रदत्त प्रकाशितों का प्रयोग करते हुये जगहरलाल नेहरू पत्तन न्यास का न्यासी भद्दला ने आधोंलेखित विनियमावली तैयार हैः-

#### संक्षिप्त नीम और प्रारंभ :-

(क) इस विनियमावली का नाम जगहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (दुसरा छुटटी संशोधन) विनियमावली, २००० है।

(खा) भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से यह विनियमावली लागू होगी।

(२) विनियम-३३ उपविनियम (२) में खंड (खा) के बाद में निम्नलिखित खंड जोड़ दिया जायेगा:-

(ग) कर्मचारी को छुटटी मजूर करने के लिए सभी अधिकारी द्वारा उसके खाते से जमा अधिगतन छुटटी के समतुल्य नकद राशि प्रदान की जायेगी लेकिन उसमें उपविनियम (५) के अनुसार पेन्शन और पेन्शन के समतुल्य अन्य निवृत्ती लाभों की कटौती की जायेगी।

(घ) खंड (ग) उपविनियम (५) और (९) के अधीन देश अधिगतन छुटटी वेतन के समतुल्य नकद राशि की राणना निम्न प्रकार से की जायेगी :-

अधिगतन छुटटी के  
बदले में दी जाने  
वाली नकद राशि

अधिगतन छुटटी का वेतन + महराई  
भाला - पेन्शन/निवृत्ती उपवान का  
पेन्शन समतुल्य और पेन्शन सहायता

निवृत्ती/पद त्यागको  
X तारीख तक अधिगतन  
छुटटी की संख्या,

३०

(ङ) उपसेवक रूप से गणित राशि एक ही भार में भुगतान के तौर पर एक सुशरा राशि देय होगी।

#### टिप्पणी :-

- (१) जगहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी छुटटी विनियमावली का प्रकाशन भारत के राजपत्र दिनांक २५/१/९३ सा.का.नि. नं. ३२ प्रकाशित हुई थी।
- (२) जगहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी छुटटी विनियमावली का प्रकाशन भारत के राजपत्र में प्रकाशित करने के हेतु से भेज दी गयी है।

(TO BE PUBLISHED IN PART-II SECTION-3, SUB-SECTION(i) IN  
EXTRAORDINARY ISSUE OF THE GAZETTE OF INDIA)

Government of India  
Ministry of Surface Transport  
(Ports Wing)

*(MHDs)*  
New Delhi, the 17-11-2000.

NOTIFICATION

G.S.R. In exercise of the powers conferred by Sub-section(i) of Section 124, read with Sub-section(i) of Section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the J.N.P.I. Employees (Leave) Amendment Regulation 2000.

Regulations 199 made by the Board of Trustees for the Port of J. L. Nehru

and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

U.S.  
(K. V. Rao)

Joint Secretary to the Government of India  
(F.No. PR-12016/19/2000-PE-1)

To

The Manager,  
Government of India Press,  
Mayapuri, Ring Road  
New Delhi-110027.

SCHEDULE  
NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by Section 28 read with Section 124 of the Major Port Trusts Act 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of Jawaharlal Nehru Port hereby makes the following Regulations namely :-

**1) Short Title & Commencement :-**

- (i) These Regulations may be called the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Second Amendment) Leave Regulations, 2000.
- (ii) They shall come into force on the date of publication of the notification in the Gazette of India.

**(2) In Regulation 33 Sub Regulation 2 the following clauses shall be added after clause (b) :-**

- "(c) The employee will also be granted by authority competent to grant leave suomotu cash equivalent of half pay leave at his credit subject to the condition that pension and pension equivalent of other retirement benefits shall be deducted from the amount payable as cash equivalent as provided in sub regulation (5)
- (d) The cash equivalent in respect of half pay leave under clause (c) and sub regulation (5) and (9) shall be calculated in the manner indicated below.

Cash payment in lieu of half pay leave	=	Half Pay leave salary plus dearness Allowance minus Pension, Pension equivalent of gratuity and relief on pension.	X	Number of days of HPL on the date of Retirement / quitting the service.
		30		

- (e) The amount so calculated shall be paid in one lumpsum as a one time settlement.

**Note:-**

- (1) JNPT Employees (Leave) Regulations was notified in the Gazette of India date 25/1/93 by G.S.R. No.32 (E).
- (2) JNPT employees (leave) first Amendment Regulations has been sent for publication in Gazette of India, Extraordinary.